



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102026-277178
CG-DL-E-15102026-277178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 818]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 889(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम 2017 में,

(क) नियम 15 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) वास के आवंटन का प्रस्ताव आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा स्वचालित प्रणाली या मैनुअल आवंटन प्रणाली के माध्यम से यथास्थिति, वास के आवंटन की तारीख से आठ दिनों के भीतर स्वीकार किया जाएगा, ऐसा न

करने पर आवंटन प्राप्तकर्ता को अगले दो दिनों के भीतर आवंटन स्वीकार करने के लिए एक अनुस्मारक भेजा जाएगा।";

(ख) नियम 17 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) यदि कोई आवंटिती किसी आवासीय वास के आवंटन की तारीख से दस दिनों के भीतर उस वास का आवंटन स्वीकार करने में विफल रहता है, या प्राधिकरण पत्र प्राप्त होने की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर उस वास पर कब्जा लेने में विफल रहता है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और वह उस प्रकार के वास के लिए एक महीने का साधारण अनुज्ञप्ति शुल्क संदाय करने के अधीन आवंटन स्वीकार न किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के दौरान, किसी भी अन्य आवासीय वास के लिए आवेदन करने से वंचित हो जाएगा।";

(ग) नियम 18 में खंड (क) में "आठ" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा।

(घ) नियम 44 में, उप-नियम (6) में, "आठ" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा; और

(ङ) नियम 73 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) जहां वास या वैकल्पिक वास का आवंटन स्वीकार कर लिया गया है, वहां अनुज्ञप्ति शुल्क की देयता वास के आवंटन की तारीख के इकसठवें दिन से या वास पर भौतिक कब्जे की तारीख से शुरू होगी, जो भी पहले हो।"

[फा. सं. 12035/4/2026/नीति.II]

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासीय वास नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.598(अ), तारीख 16 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.99(अ), तारीख 4 फरवरी, 2019, सा.का.नि.883(अ), तारीख 27 नवंबर, 2019, सा.का.नि.489(अ), तारीख 30 जुलाई, 2020, सा.का.नि.593(अ), तारीख 29 सितंबर, 2020 और सा.का.नि.114(अ), तारीख 17 फरवरी, 2021 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Directorate Of Estates)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

G.S.R. 889(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Government General Pool Residential Accommodation (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017,-

(a) in rule 15, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) An offer of allotment of an accommodation shall be accepted by the allottee within eight days from the date of allotment of the accommodation through automated system or by manual system of allotment, as the case may be, failing which a reminder shall be sent to allottee to accept the allotment within another two days.”;

(b) in rule 17, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) If any allottee fails to accept the allotment of a residential accommodation within ten days from the date of allotment of the said accommodation, or fails to take possession of that accommodation within five working days from the date of receipt of the letter of authorisation, the allotment shall be cancelled and he shall be debarred to apply for accommodation for a period of three months from the date of non-acceptance of allotment subject to payment of normal licence fee of one month for that type of accommodation.”;

(c) in rule 18, in clause (a), for the word “eight”, the word “ten” shall be substituted;

(d) in rule 44, in sub-rule (6), for the word “eight”, the word “ten” shall be substituted; and

(e) in rule 73, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Where allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence on sixty first day from the date of allotment of the accommodation or from the date of physical occupation of accommodation, whichever is earlier.”

[F. No. 12035/4/2026/Pol.II]

RAVI KUMAR ARORA, Jt. Secy.

Note: The Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 598(E), dated the 16th June, 2017 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 99(E), dated the 4th February, 2019, G.S.R 883(E), dated the 27th November, 2019, G.S.R 489(E), dated the 30th July, 2020, G.S.R.593(E) dated the 29th September, 2020 and G.S.R.114(E), dated the 17th February, 2021.